कार्यवृत्त नीलामी

माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या 126/2026 दिनांकित 20/04/2026 के अनुपालन में आज दिनांक 02/05/2026 को बाह्य न्यायालय, देवबन्द में मेरे विश्राम कक्ष में मेरी अध्यक्षता में नीलामी समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में श्री आशीषान्द सिविल जज (जू०डी०)/जे.एम., सदस्य नीलामी कमेटी, श्री संजीव कुमार शर्मा, सदस्य नीलामी कमेटी, कोर्ट मैनेजर सहारनपुर उपस्थित आये। श्रीमती मेघा चौधरी, अपर सिविल जज (सी०डी०),सदस्य नीलामी कमेटी मातृत्व अवकाश पर हैं।

बैठक में उपनाजिर श्री गुड्डूलाल द्वारा नीलामी समिति के समक्ष बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित प्रतिष्ठानों एक चाय कैन्टीन व मोटरसाईकिल/साईकिल स्टैंड की नीलामी की वित्तीय वर्ष 2026/27 हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गयी।

समिति द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि दिनांक 18/04/2026 की नीलामी हेतु बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित उपरोक्त प्रतिष्ठानों में एक चाय कैन्टीन व मोटरसाईकिल/साईकिल स्टैंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 सीलबन्द टेण्डर के माध्यम से उठाये जाने हेतु दिनांक 17/04/2026 तक सीलबन्द टेण्डर आमंत्रित किये गए थे। जिसके सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न तिथियों दिनांक 16.02.2026 को रणजय भारत, अवधनामा, अमर चिंगारी व अमर उजाला, दिनांक 26.02.2026 को रणजय भारत, अवधनामा, अमर चिंगारी,अमर उजाला, दैनिक जागरण तथा दिनांक 13.03.2026 को रणजय भारत, अवधनामा, अमर चिंगारी, दैनिक जागरण व हिंदुस्तान में प्रकाशन कराया गया एवं माननीय उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराया गया, परन्तु व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के पश्चात् भी कोई बोलीदाता/टेण्डरकर्ता उपस्थित नही आये।माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विज्ञप्ति के अनुक्रम में न्यायिक अधिकारीगण का वार्षिक स्थानांतरण होने फलस्वरूप नई नीलामी समिति गठित न होने के कारण उक्त नियत तिथि को सीलबन्द टेण्डर के माध्यम से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित नही की जा सकी।

बैठक मे सर्वसम्मति से पूर्ववत निर्धारित नियम व शर्तों पर विचार किया गया व उपनाजिर को निर्देशित किया गया कि अर्हता के बिंदु पर अलग-अलग तथा सीलबंद टेण्डर आमंत्रित करके नीलामी की कार्यवाही किये जाने हेतु टैन्डर प्रक्रिया के तहत व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सार्वजनिक सूचना बाह्य न्यायालय देवबन्द के नोटिस बोर्ड व उपजिलाधिकारी के न्यायालय में स्थित नोटिस बोर्ड तथा अन्य दृश्यमान स्थानों पर चस्पा करायें तथा उपरोक्त से सम्बन्धित सूचना एक राष्ट्रीय व तीन स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशन करायें एवं जिला न्यायालय सहारनपुर के पोर्टल, एन.आई.सी. पोर्टल तथा माननीय उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर भी नीलामी तिथि व विवरण अपलोड़ करायें।

बैठक मे सर्वसम्मति से बाह्य न्यायालय देवबन्द स्थित उपरोक्त दो प्रतिष्ठानों की नीलामी के सम्बन्ध में पुनः दिनांक 18/05/2026 तक सांय 05:00 बजे तक सीलबंद निविदाएं (टैन्डर) आमंत्रित किये जाते हैं। जो दिनांक 19/05/2026 को समय 04:30 बजे टेंडरदाताओं की उपस्थिति में बाह्य न्यायालय देवबन्द के भूतल में स्थित सभागार कक्ष में खोले जायेंगे।

2/5/26

संजीव कुमार शर्मा
(सदस्य नीलामी कमेटी)
(कोर्ट मैनेजर)
सहारनपुर
02.05.2026

02/05/26

आशीषानन्द
(सदस्य नीलामी कमेटी)
सिविल जज (जू.डी.)
बाह्य न्यायालय देवबन्द
02.05.2026

Dev-N-Singh 02-5-26

देवेन्द्र नाथ सिंह
(अध्यक्ष नीलामी कमेटी)
(अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश)
बाह्य न्यायालय देवबन्द
02.05.2026

जिला न्यायाधीश
सहारनपुर
4-5-2026

प्रेस विज्ञप्ति

दीवानी न्यायालय परिसर बाह्य न्यायालय देवबन्द, सहारनपुर में स्थित प्रतिष्ठान एक कैन्टीन व मोटरसाईकिल/साईकिल स्टैंड को टैन्डर द्वारा उठाये जाने के लिए वित्तीय वर्ष-2026-2027 हेतु दिनांक 18.05.2026 समय सांय 05:00 बजे तक सीलबंद निविदाएं (टैन्ड़र) आमंत्रित किये जातें हैं, जो दिनांक 19.05.2026 को सांय 04:30 बजे बाह्य न्यायालय देवबन्द के भूतल पर स्थित सभागार कक्ष में खोले जायेगें। इच्छुक निविदाकर्ता (टैन्डरकर्ता) नियम व शर्तो, स्थान तथा समय आदि के सम्बन्ध में नज़ारत अनुभाग, बाह्य न्यायालय देवबन्द व नज़ारत अनुभाग, सहारनपुर से कार्यालय समय पर तथा न्यायालय के सूचना पट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक-02/05/2026

भवदीय

Dev. N. Singh 02-5-26

(देवेन्द्र नाथ सिंह)
अध्यक्ष नीलामी समिति
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बाह्य न्यायालय, देवबन्द

नियम व शर्ते

दीवानी न्यायालय परिसर देवबन्द सहारनपुर स्थित दो प्रतिष्ठानों चाय कैन्टीन व मोटरसाईकिल/साईकिल स्टैन्ड को टैन्डर के माध्यम से उठाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 के सम्बन्ध में नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं, जिनका अनुपालन अनुबन्धित निविदाकर्ताओं द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि उससे वसूल कर ली जायेगी।

1. ठेका निर्गत किये जाने के पश्चात, माह मार्च के अंत तक ठेके की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत के अतिरिक्त, शेष 75 प्रतिशत धनराशि तीन किश्तों में (क्रमशः माह जून, माह सितम्बर तथा माह दिसम्बर की 15 तारीख तक) जमा की जायेगी। किश्त का भुगतान न करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

2. निविदाकर्ता / ठेकेदार की किसी गलती के कारण ठेका निरस्त होने की स्थिति में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति ठेकाधारक को करनी होगी।

3. निविदाकर्ता / ठेकेदार को सम्पूर्ण ठेके की धनराशि के बराबर का अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण मय शपथ-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यह अन्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करना होगा कि ठेके की उक्त अवधि में उक्त सम्पत्ति किसी को अंतरित नही करेगा, अवशेष लाईसेन्स फीस की वसूली उसकी उक्त सम्पत्ति से की जा सकेगी।

4. ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये ठेका समाप्त कर सकते हैं और ठेके की सम्पूर्ण धनराशि अनुबन्धित ठेकेदार से वसूल कर सकते हैं।

5. निविदाकर्ता (टैन्डरकर्ता) को निविदा खोले जाने के समय चाय कैन्टीन के लिए अंकन 20,000/- (बीस हज़ार रुपये) साईकिल स्टैन्ड के लिए अंकन 70,000/-(सत्तर हजार) रुपये प्रतिभू धनराशि के रुप में जमा करने होंगे तथा कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त जिन निविदाकर्ताओं के नाम ठेका नही छूटेगा, उनकी प्रतिभू धनराशि के रूप में जमा धनराशि को तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।

6. समस्त निविदाकर्ताओं को अपनी हैसियत आदि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।

7. ठेकेदार को उपलब्ध कराये गये स्थान पर ही अपना कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर में किसी अन्य स्थान पर ठेकेदारों द्वारा अनाधिकृत रुप से अतिक्रमण नही किया जायेगा।

8. अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा कार, स्कूटर, साईकिल इत्यादि के लिए ली जाने वाली धनराशि माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।

9. ठेकों के स्थान के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा तथा ठेकों के स्थान को साफ सुथरा रखा जायेगा।

10. ठेकेदार के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका नही दिया जायेगा और न ही किराये पर उठाया जायेगा। इस जगह का किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जायेगा।

11. ठेकेदारी के समय यदि कोई वाहन चोरी होता है या पैट्रोल चोरी होता है या क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

12. ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा ठेके के स्थान को शान्तिपूर्ण ढंग से तथा पूर्व स्थिति में खाली कर दिया जायेगा।

13.ठेका प्राप्त करने वाले ठेकेदार को ठेके की 25 प्रतिशत धनराशि एकमुश्त ठेका छूटने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा ठेका स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा और अग्रिम जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

14. जिन निविदाकर्ताओं का ठेका स्वीकार किया जायेगा उन निविदाकर्ताओं की अग्रिम धनराशि को प्रतिभू के रूप में जमा रखा जायेगा। ठेके की नियम एवं शर्तों का उल्लंघन अथवा अन्य किसी भी तरह का नुकसान करने पर प्रतिभू धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

15. ठेके की त्रैमासिक आधार पर देय किश्त प्रत्येक तिमाही की 15 तारीख तक जमा करानी होगी। कोई भी त्रुटि होने पर उसके विरुद्ध बकाया धनराशि की वसूली किश्त की अदायगी की दिनांक से जमा करने की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक बयाज के साथ भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी।

16. न्यायालय परिसर में स्थित चाय कैण्टीन पर बीड़ी, सिगरेट, एवं गुटका बेचना प्रतिबन्धित होगा।

17. विद्युत व्यवस्था हेतु ठेकेदार बिजली का कनेक्शन लेगा या विद्युत सबमीटर लगवायेगा एवं निर्धारित दरों से सब-मीटर में आयी रिडिंग का भुगतान करेगा। सब-मीटर की व्यवस्था टेकेदार स्वयं अपने खर्चे से करायेगा एवं यदि न्यायिक प्रतिष्ठान से विद्युत व्यवस्था चाहता है तो उसके लिए आवेदन करेगा और सब मीटर लगाने के बाद ही विद्युत का उपभोग कर सकेगा। उल्लंघन की दशा में विद्युत कनेक्शन काट दिया जायेगा। पुनः कनेक्शन लगाने की अनुमति नही होगी।

18. ठेकेदार वाहनो की वसूली नगर निगम द्वारा निर्धारित दर से वसूल करेगा एवं उसकी सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा।

19. समस्त ठेकेदार अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगें व कूड़ेदान आदि की व्यवस्था अपने खर्चे पर करेगें।

20. ठेकेदार इस आशय का भी शपथ पत्र देगा कि वह पूर्व में डिफाल्टर नही है।

21. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन होने एवं किसी विशेष परिस्थिति के उत्पन्न होने के कारण जिला जज को उपरोक्त ठेकों को निरस्त करने का अधिकार होगा।

02/5/26

संजीव कुमार शर्मा
(सदस्य नीलामी कमेटी)
(कोर्ट मैनेजर)
सहारनपुर
02.05.2026

आशीषानन्द
(सदस्य नीलामी कमेटी)
सिविल जज (जू.डी.)
बाह्य न्यायालय देवबन्द
02.05.2026

Dev N. Singh
02-5-26

देवेन्द्र नाथ सिंह
(अध्यक्ष नीलामी कमेटी)
(अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश)
बाह्य न्यायालय देवबन्द
02.05.2026

Seen & Approved

जिला न्यायाधीश
सहारनपुर
4.5.2026